झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची
2005

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005
[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

खंड :

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ ।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 13 का संशोधन ।

3. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 15 का प्रतिस्थापन ।

4. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 17 का प्रतिस्थापन ।

5. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 18 का प्रतिस्थापन ।

6. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 19 के पश्चात् अंत: स्थापन ।

7. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 20 का प्रतिस्थापन ।

8. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा 23 का विलोपन ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2000 (अंगीकृत) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :

(1) यह अधिनियम झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा ।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2000 (अंगीकृत) की धारा-13 का संशोधन :-

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2000 (यथा संशोधित), इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट की धारा-13 में :-

(I) उपधारा-(3) के खंड (क) में शब्दावली "राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित रीति से" के स्थान पर शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा" प्रतिस्थापित की जायगी ।

(II) उपधारा-(3) के खंड (घ) के परंतुक में शब्द "यथा विहित रीति से" के स्थान पर शब्दावली "राज्य निर्वाचन आयोग" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा ।

3. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2000 (अंगीकृत) की धारा-15 के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जायगा, यथा

15-नगरपालिका के मतदाता की योग्यतायें-

(1) कोई मतदाता नगरपालिका के किसी एक ही कक्ष (वार्ड) में मतदान करने के योग्य होगा ।

परंतु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी प्रभावित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यदि इस विचार का हो कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है, तो नगरपालिका के संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में ऐसा परिवर्तन करने का निर्देश दे सकेगा, जैसा वह उचित समझे,

परंतु यह कि राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत किये जाने के पश्चात् मतदाता सूची में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

4. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2000 (अंगीकृत) की धारा-17 का प्रतिस्थापन:-

उक्त अधिनियम में धारा-17 के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

17-कक्ष या वार्ड सदस्य (वार्ड आयुक्त) के निर्वाचन के लिए अर्हतायें -

(i) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में निर्वाचित होने और बने रहने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं माना जाएगा, जबतक कि -

(क) वह नगरपालिका के किसी कक्ष (वार्ड) के लिए मतदाता न हो,

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो और महिलाओं लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, वह यथा स्थिति उक्त श्रेणी का व्यक्ति न हो,

(ग) उसने इक्कीस (21) वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो ।

(ii) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए यथास्थिति एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन कक्ष (वार्ड) में खड़ा नहीं हो सकेगा ।

17 (अ) सदस्यता के लिए अनर्हताएं –

कोई भी व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा योग्य है किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि –

(क) वह भारत का नागरिक न हो,

(ख) जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के या तो पूर्व या उसके पश्चात् :-

(i) उस समय प्रवृत सिविल सेवा आचरण नियमावली के अधीन या नशीले पदार्थो के उपयोग, उपभोग, या विक्रय से संबंधित किसी विधि के, अथवा राज्य के किसी भाग में प्रवृत तत्समय किसी विधि के अधीन किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो, जबतक कि उसके दोष सिद्ध होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि या ऐसी कम अवधि जो राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में निर्धारित करे व्यतीत न हो चुकी हो ।

(ii) जो पागल हो,

(iii) जो सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो,

(iv) जो किसी नगरपालिका के अधीन कोई लाभकारी पदधारक हो, या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या किसी समिति की, या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या केन्द्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में सेवारत हो,

(v) जो राज्य सरकार की या केन्द्र सरकार की या किसी नगरपालिका की या किसी अन्य प्राधिकारी या किसी सहकारी समिति की या किसी केन्द्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से भ्रष्टाचार अथवा कर्तव्यहीनता के कारण अपदस्थ कर दिया गया हो,

(vi) जो नगरपालिका के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई अंश या हित रखता हो,

परंतु किसी भी व्यक्ति के उपधारा (ख) के खंड (vi) के अधीन केवल इस कारण से अयोग्य हुआ नहीं समझा जायगा कि –

(क) किसी संयुक्त स्टॉक कंपनी में उसका अंश है, तत्समय प्रवृत राज्य के सोसायटी निर्वधन अधिनियम के अधीन निबंधित किसी संस्था में या सहकारी समिति में जो नगरपालिका के साथ संविदा करेगी या जिसे नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया जायेगा, उसका कोई अंश या हित है, या

(ख) ऐसे किसी समाचार-पत्र में जिसमें नगरपालिका के क्रियाकलाप से संबंधित कोई विज्ञापन दिया जाता है, उसका कोई अंश या हित है, या

(ग) वह नगरपालिका द्वारा या इसकी ओर से कोई ऋण पत्र धारित करता है या नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से लिए गए किसी उधार से अन्यथा संबंधित है, –

(vii) भारत के भीतर या बाहर किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए छ: महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास या दण्ड पा चुका हो, कदाचार के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम-2, 1974) की धारा-109 या 110 के अधीन उसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो, और आदेश बाद में उलटा भी गया हो ।

5. **झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2000 (अंगीकृत) की धारा-18 का प्रतिस्थापनः-** उक्त अधिनियम में धारा-18 के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

18-(कक्ष)-(वार्ड) का निर्माण-

(i) नगरपालिका के आयुक्तों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा यथा विहित नियमों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में नगरपालिका के क्षेत्र का कक्ष (वार्ड) के रूप में ज्ञात, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभक्त करेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथा-साध्य संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में समरूप हो ।

साथ ही निर्वाचन कक्षों (वार्ड) की सीमा प्राकृतिक या कृत्रिम चिह्नों द्वारा यथासाध्य एक दूसरे से साफ-साफ अलग रहे ।

(ii) राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी प्रभावित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यदि इस विचार का हो, कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है, तो उपधारा (i) के अधीन स्थापित किसी वार्ड की वैधानिकता एवं औचित्य का पुनर्विलोकन कर सकेगा और इसके निमित्त सुसंगत अभिलेखों की मांग कर सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उचित एवं युक्तियुक्त समझें,

6. **धारा-19 के पश्चात्, निम्नांकित धारायें अंतः स्थापित की जायेंगी, यथा**

19(अ) निर्वाचन की अधिसूचना :-अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन बने नियमों के अध्यधीन राज्य सरकार निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर नगरपालिकाओं को गठित करने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन के लिए तिथि या तिथियों को नियत कर राज्य के राजपत्र में अधिसूचित करेगी तथा इससे अपेक्षा की जाएगी कि, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मतदातागण नगरपालिका के पदधारकों को निर्वाचित करे,

परंतु यह कि ऐसी कोई अधिसूचना निर्वाचन की नियम तिथि से पूर्व के छह माह पहले नहीं निकाली जा सकेगी ।

19(ब) निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र :-

(i) राज्य सरकार, जब जैसी अपेक्षा की जाय, राज्य निर्वाचन आयोग को नगरपालिकाओं का निर्वाचन कराने के निमित्त कर्मचारी वृन्द एवं पदाधिकारियों की सेवायें उपलब्ध करायेगी ।

(ii) नगरपालिका निर्वाचन के संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक जिला के लिए समाहर्ता/उपायुक्त को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पदोनिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा । जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग एक या उससे अधिक उप-जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नामित कर सकेगा, जो नगरपालिका के विशेष पदाधिकारी या उप-समाहर्ता से अन्यून कोटि का होगा;

परंतु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन के संबंध में सभी कार्यो का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेगा ।

(iii) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका के निर्वाचन के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगा, जो उप समाहर्ता से अन्यून स्तर का होगा ।

(iv) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी को उसके कृत्यों के अनुपालन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगा जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा ।

(v) जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पीठासीन पदाधिकारी की सहायता के लिए उतने मतदान पदाधिकारी या पदाधिकारियों को जितना कि वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा;

परंतु यह कि कोई व्यक्ति, जो सरकार या सरकारी कंपनी या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;

परंतु यह और भी कि किसी मतदान पदाधिकारी के मतदान केन्द्र से अनुपस्थित होने पर पीठासीन पदाधिकारी उपर्युक्त परंतुक के अधीन ऐसे व्यक्ति को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है जो निर्वाचन में या उसके संबंध में या उसके संबंध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है, या उसके लिए कोई अन्य कार्य कर रहा है, मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसकी सूचना देगा;

परंतु यह और भी कि मतदान पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग निदेश के अध्यधीन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन पीठासीन पदाधिकारी के सभी या किन्ही भी कृत्यों का पालन करेगा ।

(vi) यदि पीठासीन पदाधिकारी रुग्णता या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो तो उसके ऐसे कृत्यों का पालन ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो ऐसी अनुपस्थिति के समय ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो ।

(vii) किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन पदाधिकारी का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाये रखे और देखें कि मतदान उचित रूप से हो रहा है ।

(viii) मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करें ।

7. **झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2000 (अंगीकृत) की धारा-20 का प्रतिस्थापनः-** उक्त अधिनियम में धारा-20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा

20-अध्यक्ष का निर्वाचन -

(i) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र (सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र) के वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा ।

(ii) वहिर्गामी अध्यक्ष पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा ।

(iii) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगरपालिका के सदस्य/उपाध्यक्ष/और अध्यक्ष तीनों ही रूप में निर्वाचित हो जायें, या नगरपालिका सदस्य होते किसी उपनिर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित हो जायें, तो वह अध्यक्ष निर्वाचित होने की तिथि से सदस्य न रह जायेगा ।

(iv) कोई व्यक्ति नगरपालिका और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार दोनों का एक ही समय में अध्यक्ष न होगा ।

परंतु यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक प्राधिकारी के किसी ऐसे या उसी तरह के किसी पद पर निर्वाचित हो जाय तो वह अपने विकल्प से एक स्थानीय प्राधिकार का पदधारण करता रहेगा और अन्य दूसरें में यथा विहित अवधि के भीतर त्याग पत्र दे देगा ।

20 (क) अध्यक्ष के पद के लिए अर्हताएं -

(i) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए अर्ह न होगा, जबतक कि वह :-

(क) संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में किसी कक्ष (वाड) का निर्वाचक न हो, और

(ख) अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किये जाने के लिए उम्मीदवार के रूप में अपने नाम निर्देशन की तिथि को तीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो ।

(ii) किसी भी सदस्य के लिए लागू अनर्हतायें अध्यक्ष के लिए भी प्रभावकारी होंगी ।

20 (ख) राज्य निष्ठा और पथ की शपथ –

(i) नगरपालिका का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य नगरपालिका के अधिवेशन में अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित रूप से संविधान के प्रति अपनी राज्य निष्ठा की शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उसपर हस्ताक्षर करेगा –

"मैं (नाम) नगरपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ । सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित "भारत का संविधान" के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, मै भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाये रखूंगा और मै सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा ।"

(ii) अध्यक्ष या सदस्य जो अपने पद की अवधि प्रारंभ होने की तिथि से तीन मास के भीतर अथवा उक्त तिथि के पश्चात् नगरपालिका के प्रथम तीन बैठकों में से किसी एक में, जो भी पश्चातवर्ती हो, जबतक कि उपायुक्त द्वारा यह अवधि बढ़ा न दी जाय, उपधारा (i) में अधिकाधित और उसकी अपेक्षानुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने में चूक करेगा, अपने पद पर नहीं रह जायेगा और उसका स्थान रिक्त हुआ समझा जायेगा ।

(iii) कोई व्यक्ति जिससे उपधारा (i) के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की अपेक्षा की गयी हो, नगरपालिका की बैठक में अपना स्थान ग्रहण नहीं करेगा अथवा नगरपालिका के सदस्य/उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कोई कार्य नहीं करेगा, जबतक कि उससे उपधारा (i) में अधिकाधित शपथ न ले ली हो या प्रतिज्ञान न कर लिया हो ।

(iv) नगरपालिका के गठन के पश्चात् यथाशीघ्र उपायुक्त द्वारा इस धारा के अधीन विहित रीति से शपथ दिलाने और प्रतिज्ञान कराने के लिए नगरपालिका की बैठक बुलायी जायेगी और ऐसी बैठक अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी उप-समाहर्ता द्वारा की जायेगी ।

(v) कार्यपालक पदाधिकारी, यथाशीघ्र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या ऐसे सदस्य के, यदि कोई हो, जो उपधारा (ii) के अधीन अपने पद पर न रह जाये, नाम की सूचना उपायुक्त को देगा । नगरपालिका के लिए निर्वाचित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष किसी अन्य प्राधिकार का पदेन सदस्य के रूप में रह सकता है ।

20 (ग) उपाध्यक्ष का निर्वाचन –

(i) उपाध्यक्ष नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचक द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायगा ।

(ii) वहिर्गामी उपाध्यक्ष पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा ।

(iii) कोई व्यक्ति जिससे धारा 20 (ख) की उपधारा (i) के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की अपेक्षा की गयी हो, नगरपालिका की बैठक में अपना स्थान ग्रहण नहीं करेगा अथवा नगरपालिका के सदस्य/उपाध्यक्ष के रूप में कोई कार्य नहीं करेगा, जबतक कि उससे धारा 20 (ख) की उपधारा (i) में अधिकाधित शपथ न ले ली हो या प्रतिज्ञान न कर लिया हो ।

(iv) सदस्यों के संबंध में जो अर्हतायें एवं अनर्हतायें होंगी वे यथासंशोधित रूप में उपाध्यक्ष के लिए भी प्रभावकारी होंगी ।

8. चूंकि उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी प्रावधान 20 (ग) में वर्णित किया गया है । अतएव अधिनियम की धारा-23 का विलोपन किया जाता है ।